राजकुमार लुधानी बनाम श्रीमती प्रीति जैन चौहान तहसीलदार अजमेर

अवमानना प्रार्थना पत्र(39नियम02ए) 141/2021

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उपस्थित अधि. प्रदीप विश्नोई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19/4/22	अपीलार्थी की ओर से श्री प्रदीप विश्नोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर शीघ्र सुनवाई/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के आधार पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दिनांक 23.05.2022 को नियत है। अपीलार्थी के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस अवमानना प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को ग्राम भूणाबाय स्थित खसरा नम्बर 212, 213, 217/1 एवं 218/01 कुल किता 4 रकबा 2.18 बीघा भूमि पर प्रोजेक्ट को विकसित करने हेतु जिला कलक्टर अजमेर द्वारा बहैसियत राज्य सरकार राजस्थान व प्रार्थी के साथ **MOU** दिनांक 22.12.2021 को हस्तान्तरित कर दिया है जिसके पश्चात विवाद समाप्त हो चुका है। अतः प्रकरण मे अन्य कोई चाराजोही शेष नही रही है इसलिये प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते है। अतएव प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस करने का निवेदन किया गया। मैने अपीलार्थी के अभिभाषक की उक्त प्रार्थन पत्र पर सुनी बहस पर मनन एवं प्रार्थन पत्र मे उल्लेखित तथ्यो का अवलोकन किया जिसके आधार पर अपीलार्थी/प्रार्थी अभिभाषक का प्रार्थना पत्र वास्ते नोटप्रेस किये जाने का उनके निवेदन पर स्वीकार किया जाता है तथा इस प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner